उनवानी सरकार बनाम कुलदीप दिनांक ...

———————अपीलान्ट्स

———————रैस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री रामावतार लाम्बा एडवोकेट

सरकारी पैरोकार

दिनांकः— 24.07.2023

निर्णय

संक्षेप में अपील अपीलान्ट इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ठिकरिया तहसील नीमकाथाना द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 03.03.2020 को एक निराधार निर्पोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष इस आशय कि प्रस्तुत कि गई है कि संवत् 2076 अपीलान्ट द्वारा ग्राम जस्सी का बास कि तन में स्थित भूमि खसरा नं. 475 रकबा 0.75 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.02 है0 भूमि पर टीनशेड लगाकर राजकिय भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का कि रिपॉर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट के खिलाफ भू—राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91(2) के अधीन नोटिस जारी किया जिसमें अपीलान्ट को दिनांक 26.06.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश करना था। अपीलान्ट द्वारा नियम दिनांक न्यायालय के समक्ष होकर जवाब नोटिस इस आशय का प्रस्तुत किया गया। ग्राम जस्सी का बास तहसील नीमकाथाना में प्रार्थी कि पैतृक भूमि में से रकबा 0.02 है0 में पक्की दिवार व टीनशेड का निर्माण किया है। सरकारी भूमि के रास्ते में कोई अतिक्रमण नहीं किया है। न्यायालय द्वारा जवाब नोटिस प्रस्तुत होने पर धारा 91(2) भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ताक में रखते हुये दिनांक 30.06.2020 को निर्णय इस आशय का पेश किया गया कि गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस में अंकित यह कथन कि अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि में कोई निर्माण कार्य कर टीनशेड नहीं लगाया है। अतिक्रमी द्वारा रविवार दिनांक 01.03.

(कुमार)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
...थाना (सीकर)

जस्सी का बास की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 475 रकबा 0•75

कुलदीप

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2020 अवकाश को मौका पाकर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा पाबंद करने के बावजूद पुनः अतिक्रमण करने पर प्रारम्भ में प्रकरण को पश्चातवर्ती मानते हुये धारा 91(2) में दर्ज किया किया गया था। परन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण में विधिक रूप से यह आवश्यक है कि अतिक्रमी को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो प्रकरण में अप्रार्थी को सिविल कारावास से दंडित करना न्याय संगत नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कुलदीप पुत्र सुखवीर कोम अहीर निवासी जस्सी का बास तहसील नीमकाथाना को भू–राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी मानते हुये राजस्व ग्राम जस्सी का बास पटवार मंडल ठिकरिया तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नं. 475 रकबा 0.70 है0 गैर मुमकिन रास्ता में से 0.02 है0 भूमि पर पक्की दिवार टीनशेड लगाकर किया गया अनाधिकृत अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल भूमि राज में लिये जाने के पश्चात राशि राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश दिये जाते है तथा लगान की दर रू 0.12 है0 का 50 गुणा 6रू शास्ति के रूप मे आरोपित की जाती है। न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष अपीलान्ट कि ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब से यह प्रमाणित है कि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट कि पैतृक खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये बिना 0.02 है0 राजकीय भूमि का अतिक्रमण प्रमाणित नहीं माना जा सकता, इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना ही उसके द्वारा प्रस्तुत कि गई रिपॉर्ट को सही मानते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में गंभीर त्रुटि कारित कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा गाँव की राजनीति द्वेषतावश अपीलान्ट के खिलाफ निराधार रिपॉर्ट पेश की गई है जिसे गलत रूप से बिना किसी प्रमाण व आधार के सही माना गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.06.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर अपील दर्ज रजिस्टर कि गई एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपील से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार नीमकाथाना से मंगवाया गया जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा पैतृक भूमि में से रकबा 0.02 है0 में पक्की दिवार व टीनशेड का निर्माण किया है। अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि के रास्ते कि भूमि में कोई निर्माण नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही कोई दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट के आधार पर ही कार्यवाही कि गई है। प्रकरण के संबंध में बिना कोई जाँच किये पटवारी हल्का द्वारा जो राजनैतिक द्वेषता के कारण जो रिपॉर्ट पेश कि गई है उसी को सही मानते हुये अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही कि गई है। अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 30.06.2020 को अपास्थ किया जावें।

बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट के अवलोकन से पाया गया कि भूमि खसरा नं. 475 रकबा 0.70 है0 किस्म गैर मूमकिन रास्ता में से रकबा 0.02 है0 पर पक्की दिवार बनाकर टीनशेड लगाकर कब्जा किया गया है। वकील अपीलान्ट का मूख्य कथन यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं ना ही सुना गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय [illegible] 2020 में स्पष्ट अंकन है कि अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश [illegible] एवं अपने जवाब यह भी अंकित किया है कि मेरे द्वारा सरकारी [illegible] नहीं किया है अतः कार्यवाही ड्रॉप कि जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी दिया है एवं जो जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.06.2020 को पेश किया गया जो तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त मूल रिकॉर्ड के साथ शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा और अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अंकन नहीं किया गया हो इस आधार पर अपीलान्ट अपने तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है इस सभी तथ्यों के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज कि जाती है न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के मुकदमा नम्बर 40/2020 उनवानी सरकार बनाम कुलदीप में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2020 यथावत रखा जाता है। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हों।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

उक्त आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner